न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 30/2006

1 एवज अली पुत्र स्व. इमाम अली
2 अब्दुल मजीद पुत्र गुलाम अली जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नयाबास धनूरी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 हिदायत खां पुत्र स्व. मन्नूखां जाति कायमखानी निवासी नयाबास धनूरी जिला झुन्झुनू राज.। मृतक
1/1 भंवर अली पुत्र स्व. हिदायत खां जाति कायमखानी निवासी नयाबास धनूरी जिला झुन्झुनूं।
1/2 मु. सरताज बानो पत्नी सरवर खां पुत्री स्व. हिदायत खां जाति कायमखानी निवासी गांव भीमसर जिला झुन्झुनूं।
1/3 मु. खुरशेद बानो पत्नी नेक मोहम्मद खां पुत्री स्व. हिदायत खां जाति कायमखानी निवासी जाबासर जिला झुन्झुनूं।
1/4 मु. अख्तर बानो पत्नी सतार खां पुत्री स्व. हिदायत खां जाति कायमखानी निवासी भूतियाबास चुरू जिला चुरू।
1/5 अयुब अली पुत्र स्व. हिदायत खां जाति कायमखानी निवासी नयाबास धनूरी जिला झुन्झुनूं।
1/6 मु. मुमताज बानो पत्नी इन्तजार खां पुत्री स्व. हिदायत खां जाति कायमखानी निवासी रिसालदारों का मोहल्ला चुरू।
1/7 मोहम्मद इकबाल खां पुत्र स्व. हिदायत खां जाति कायमखानी निवासी नयाबास धनूरी जिला झुन्झुनूं।
1/8 मु. शहनाज बानो पत्नी सिकन्दर खां पुत्री स्व. हिदायत खां जाति कायमखानी निवासी अगूणा मोहल्ला चुरू।

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2 अलादीन खां पुत्र स्व. ईस्सू खां जाति कायमखानी निवासी नयाबास धनूरी जिला झुन्झुनूं। मृतक

2/1/1 श्रीमती शकील बानो पत्नी स्व. शकील खां जाति कायमखानी निवासी नयाबास धनूरी जिला झुन्झुनूं।

2/1/2 शोयब खां पुत्र स्व. शकील खां

2/2/3 मु. सोफिया पुत्री स्व. शकील खां जाति कायमखानी निवासी नयाबास धनूरी जिला झुन्झुनूं।

3 मोहिदीन खां पुत्र

4 निजामुदीन खां पुत्र स्व. इस्सू खां जाति कायमखानी निवासी नयाबास धनूरी जिला झुन्झुनूं।

5 श्रीमती हफीजा बानो पुत्री स्व. ईस्सू खां पत्नी नासर अली खां जाति कायमखानी निवासी नुआं जिला झुन्झुनूं। मृतका

5/1 अब्दुल क्यूम पुत्र

5/2 श्रीमती तनवीर बानो पुत्री

5/3 श्रीमती तोकीर बानो पुत्री स्व नासर अली खां जाति कायमखानी निवासी नुआं जिला झुन्झुनूं।

6 नवाब अली पुत्र स्व. भादर खां जाति कायमखानी निवासी नयाबास धनूरी जिला झुन्झुनूं।

6/1 सत्तार खां पुत्र

6/2 निसार खां पुत्र

6/3 सदीक खां पुत्र

6/4 मु. जीवणी पत्नी नियाज खां पुत्री स्व. नवाब अली खां जाति कायमखानी निवासी मदनसर जिला झुन्झुनूं।

7 मुराद खां पुत्र स्व. भादर खां जाति कायमखानी निवासी नयाबास धनूरी जिला झुन्झुनूं।

8 मोहम्मद अली खां पुत्र स्व. भादर खां जाति कायमखानी निवासी नयाबास धनूरी जिला झुन्झुनूं।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

9 खादिम खां पुत्र स्व. भूरे खां जाति कायमखानी निवासी नयाबास धनूरी जिला झुन्झुनूं। मृतक

9/1 मु. जन्नत बानो पत्नी स्व. खादिम खां

9/2 अब्दुल मजीद पुत्र

9/3 मोहम्मद इकबाल पुत्र

9/4 फिदा हुसैन पुत्री

9/5 फारूक अली पुत्र

9/6 नियाज अहमद पुत्र

9/7 अयूब अली पुत्र

9/8 मिरसाद अली पुत्र स्व. खादिम खां जाति कायमखानी निवासी नयाबास धनूरी जिला झुन्झुनूं।

9/9 नसरीन बानो पत्नी इस्ताक खां पुत्री स्व. खादिम खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नुआ जिला झुन्झुनूं।

10 श्रीमती मकसूद बानो पत्नी स्व. वजीर खां जाति कायमखानी निवासी कंकडेऊ कलां तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू । मृतका

10/1 श्रीमती जरीना बानो पत्नी मंजूर खां जाति कायमखानी निवासी नयाबास धनूरी जिला झुन्झुनूं।

10/2 श्रीमती समीना बानो पत्नी मंजूर खां पुत्री मकसूद बानो जाति कायमखानी निवासी नयाबास धनूरी जिला झुन्झुनूं।

10/3 श्रीमती नजमा बानो पत्नी इकराम खां पुत्री मकसूद बानो जाति कायमखानी निवासी मदनसर जिला झुन्झुनूं।

10/4 इमरान खां

10/5 इरफान खां पुत्र स्व. वजीर खां जाति कायमखानी निवासी कंकडेऊ कलां जिला झुन्झुनूं।

11 श्रीमती बाई बानो पुत्र स्व. गुलाम अली पत्नी मुराद खां जाति कायमखानी निवासी पुलिस थाने के पास बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

12 गनी खां उम्र 52 साल पुत्र भालूखां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नये बस स्टेण्ड के पास मोहल्ला कायमखानियों का चुरू तहसील व जिला चुरू।

13 मु. शकीरा उम्र 27 साल पुत्री गनी खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नये बस स्टेण्ड के पास मोहल्ला कायमखानियों का चुरू तहसील व जिला चुरू।

14 मु. समीरा उम्र 24 साल पुत्री गनी खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नये बस स्टेण्ड के पास मोहल्ला कायमखानियों का चुरू तहसील व जिला चुरू।

15 मु. जमीद बानो उम्र 42 साल पुत्री गुलाम अली पत्नी श्री समसाद खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नये बस स्टेण्ड के पास मोहल्ला कायमखानियों का चुरू तहसील व जिला चुरू।

16 भारत सरकार जरिये पुर्नवास सचिव पुर्नवास मंत्रालय नई दिल्ली।

17 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री निर्णय दिनांक 31.12.2005 एंव डिक्री दिनांक 25.01.2006 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं मु.नं. 35/2004 दावा बाबत बंटवारा मुकदमा उनवानी एवजअली आदि बनाम हिदायत खां आति जिसके अन्तर्गत वादीगण अपीलार्थीगण का दावा खारिज किया गया है।

प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री अजीज अली, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महिपाल कपुरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री मौ. हुसैन, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 12.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 35/2004 में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2005 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक वाद विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर 69, 70, 71, 72, 73, 329 वाके ग्राम धनूरी तहसील झुन्झुनूं का पेश किया। विचारण न्यायालय बाद सुनवाई विचाराधीन से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादीगण ने अपने दावे की मद नम्बर 1 लगायत 4 में स्पष्ट तौर पर अंकित किया है कि वादीगण का आराजियात खसरा नम्बर 69, 70, 71, 72, 73, 329 कुल किता 6 कुल रकबा 16 बीघा 8 बिश्वा स्थित ग्राम धनूरी में 1/8–1/8 हिस्सा है। इसी प्रकार वाद की धारा 2 में अंकित है कि आराजी खसरा नम्बर 319/2 रकबा 13 बीघा 9 बिश्वा स्थित धनूरी के 1/4 हिस्से के दोनों वादीगण का शामिल हिस्सा है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 307, 308 किता दो कुल रकबा 8 बीघा 4 बिश्वा स्थित धनूरी में वादीगण का शामिल में 1/8–1/8 हिस्सा है। इस प्रकार उक्त समस्त आराजियात में वादीगण के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (राजस्थान)

शामिल खातेदारी काश्तकारी में कुल 7 बीघा 16 बिश्वा भूमि आती है। इस भूमि को वादीगण अन्य हिस्सेदारान के शामिल काश्त करते है परन्तु अभी तक इन आराजियात का विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है इसलिये वादीगण को उनके हिस्से की भूमि बांटकर दिलाई जावें। इतनी स्पष्ट प्लींडिग्स के बावजूद दावा वादीगण खारिज करने में विचारण न्यायालय ने गलती की है। वादीगण विवादित आराजियात के रिकार्डेड सह-खातेदार काश्तकार है जमाबंदिया प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 से यह तथ्य साबित है परन्तु वादीगण के हक में बंटवारे की डिक्री जारी न करने में कानून एवं तथ्यों की गलती की गयी है। सहखातेदारान विवादित आराजियात ने दावे को डिक्री किये जाने में कोई ऐतराज नहीं किया। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही की गयी हैं। प्रतिवादीगण नम्बर 9 लगायत 15 के इकबाली जबाब दिया है प्रतिवादीगण नम्बर 16 व 17 ने भी दावे को डिक्री करने में कोई आपत्ति नहीं की परन्तु दावा वादीगण खारिज करने में गलती की गयी है। वादीगण ने वाद पत्र, दस्तावेजात प्रदर्श-1 व प्रदर्श-2 तथा एवजअली पी.डब्ल्यू. 1, अब्दुल मजीद पी.डब्ल्यू-2 तथा शेरखां पी.डब्ल्यू 3 की जुबानी साक्ष्य से भी वादीगण का दावा साबित था। इसके बावजूद दावा खारिज करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादीगण ने स्पष्ट रूप से कोई तथ्य दर्ज नहीं किये हैं। खातेदारी की घोषणा की रिलीफ भी नहीं चाही गई है। वादीगण ने दावा केवल धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। राजस्व रिपोर्ट से भी प्लींडिग की पूर्ण ताईद नहीं होती है। वादीगण का दावा प्लींडिग के मुताबिक अपूर्ण व अस्पष्ट है, इसलिए दावा खारिज करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद में वादी ने शीर्षक में धारा 53 के अन्तर्गत विभाजन का दावा प्रस्तुत कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी अपूर्ण व अस्पष्ट मानते हुए दावा खारिज किया है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद कथन एवं अनुतोष पूर्णतया स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया अनुसार प्रकरण में बाद सुनवाई विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)